

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 मार्च 2021—फाल्गुन 13, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-23/2019/1-7. — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4/साप्रवि/2000, दिनांक 01-11-2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. खण्ड (घ सात) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(घ आठ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42)”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 4 मार्च 2021

क्रमांक एफ 2-23/2019/1-7. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 4th March 2021

NOTIFICATION

No. F 2-23/2019/1-7. — In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. 4/G.A.D./2000, dated 1-11-2000, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, -

1. After clause (svii), the following shall be inserted, namely :-

"(sviii) Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956)"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.D. SINGH, Secretary.